



संख्या-15/2021/513/77-3-2021-12(एम)/2021

प्रेषक,

आनन्द कुमार सिंह,

अनु सचिव,

उ०प्र० शासन।

सेवा में,

मुख्य कार्यपालक अधिकारी,

यूपीडा, पर्यटन भवन, गोमतीनगर,

लखनऊ।

औद्योगिक विकास अनुभाग-3

लखनऊ: दिनांक: 15 मार्च, 2021

विषय:- वित्तीय वर्ष 2020-21 के आय-व्ययक में बुन्देलखण्ड एक्सप्रेस-वे परियोजना के साथ डिफेन्स कॉरिडोर परियोजना के कानपुर नोड के विकास हेतु ग्राम साढ़ मुसाफा, तहसील नरवल में 01 नग ओवरहेड टैंक, 02 नग ट्यूबवेल तथा 02 नग पम्प हाउस के निर्माण के कार्य हेतु रु० 472.58 लाख की स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-3431/यूपीडा/1871/डिफे०कॉरि०-कानपुर नोड/तक० दिनांक 22.02.2021 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-07 के लेखाशीर्षक "5054.सड़कां तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय 03-राज्य राजमार्ग 337-सड़क निर्माण कार्य 08-बुन्देलखण्ड एक्सप्रेस-वे परियोजना के साथ डिफेन्स कॉरिडोर परियोजना 24-वृहद निर्माण कार्य" मद में प्राविधानित धनराशि रु. 150.00 करोड़ में से डिफेन्स इण्डस्ट्रियल कॉरिडोर के कानपुर नोड के विकास हेतु जनपद कानपुरनगर के ग्राम साढ़ मुसाफा, तहसील नरवल में 01 नग ओवरहेड टैंक, 02 नग ट्यूबवेल तथा 02 नग पम्प हाउस के निर्माण कार्य के भुगतान हेतु प्रस्तावित परियोजना लागत रु० 472.58 लाख की वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 में रु० 472.58 लाख (रु० चार करोड़ बहात्तर लाख अठावन हजार मात्र) की स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करती हैं:-

- (1) उक्त धनराशि का आहरण केवल तात्कालिक आवश्यकता के अनुसार ही किया जायेगा।
- (2) यूपीडा द्वारा आहरित धनराशि के सापेक्ष उपयोगिता प्रमाण पत्र मुख्य अभियन्ता (का०क्षे०), उ०प्र० जल निगम, कानपुर नगर से प्राप्त कर यथा समय शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।
- (3) प्रायोजना की आवश्यकताओं एवं औचित्य के आधार पर प्रस्तावित कार्यों का क्रियान्वयन सुसंगत वित्तीय नियमों/विनियमों/शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जाएगा।
- (4) प्रशासकीय विभाग धनराशि से संबंधित आंकड़ों की शुद्धता सुनिश्चित करेंगे।
- (5) धनराशि का आहरण सक्षम स्तर के अनुमोदनोपरान्त नियमानुसार किया जायेगा तथा स्वीकृत धनराशि के व्यय में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

1/2020/ बी-1-149/ दस-2020-231/2020, दिनांक 24.03.2020, शासनादेश संख्या-4/ 2020/बी-1-192/दस-2020-231/ 2020 दिनांक 07.04.2020, शासनादेश संख्या-5/2020/बी-1-196/दस-2020-231/2020, दिनांक 11.04.2020, 18.05.2020 एवं 29.09.2020 तथा अन्य संगत शासनादेशों द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(6) उक्त स्वीकृत धनराशि का उपयोग उसी प्रयोजन के लिए किया जायेगा, जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है।

3- उपर्युक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 के आय-व्यय के अनुदान संख्या-07 के लेखाशीर्षक "5054.सड़कां तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय 03-राज्य राजमार्ग 337-सड़क निर्माण कार्य 08-बुन्देलखण्ड एक्सप्रेस-वे के साथ डिफेन्स कॉरिडोर परियोजना 24-वृहद निर्माण कार्य" के नामे डाला जायेगा।

4- उक्त आदेश वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-6 के अशा0 संख्या-ई-6-202/दस-21 दिनांक 12.03.2021 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

आनन्द कुमार सिंह
अनु सचिव।

संख्या-15/2021/513(1)/77-3-2021, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार,(लेखा परीक्षा) प्रथम द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2. महालेखाकार,(लेखा एवं हकदारी) प्रथम द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
3. अपर मुख्य सचिव, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 शासन।
4. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, लखनऊ, कानपुर नगर।
5. निदेशक, वित्तीय सांख्यिकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
6. निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, औद्योगिक विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
7. वित्त (ई) अनुभाग-6, औद्योगिक विकास अनुभाग-2।
8. वित्त (आय-व्यय) अनुभाग-1
9. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

आनन्द कुमार सिंह
अनु सचिव